

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

राजस्व वाद संख्या : 124 / 2024

निर्णय दिनांक : 22.12.2024

जीसीएमएस संख्या- 2024 / 254

दायर दिनांक - 06.12.2024

गुमानसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु

बनाम

.....वादी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु राजस्थान

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती

.....प्रतिवादी

उपस्थित :-

1. श्री रमेश बिस्सु एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेशेकार राज उपस्थित।


—:निर्णय:—


संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 42 के खसरा संख्या 221 तादादी 10.2298 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।


वादी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम खेत खाता संख्या 42 के खसरा संख्या 221 तादादी 10.2298 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गुमानसिंह पुत्र सोनसिंह है जबकि वादी का वास्तविक नाम गुमानसिंह पुत्र सोहन सिंह है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत वाके रोही बाघसरा के खेत खाता संख्या 42 के खसरा संख्या 221 तादादी 10.2298 हैक्टेयर वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गुमानसिंह पुत्र सोनसिंह खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम गुमानसिंह पुत्र सोहन सिंह है। सोनसिंह व सोहनसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वादी के पिता के नाम सोन सिंह के स्थान पर सोहनसिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम गुमानसिंह पुत्र सोहन सिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

  
सदस्य  
लोक अदालत  
सुजानगढ़


  
सदस्य  
लोक अदालत  
सुजानगढ़


  
लोक अदालत  
सुजानगढ़


## आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के खेत खाता संख्या 42 के खसरा संख्या 221 तादादी 10.2298 हैक्टेयर के राज्य रिकॉर्ड में वादी का नाम गुमानसिंह पुत्र सोनसिंह खातेदार के स्थान पर गुमानसिंह पुत्र सोहनसिंह निवासी ग्राम बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

  
न्यायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
पैनल अध्यक्षता (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

## डिकरी व मुकदमें इत्यादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जम्मा दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

राज अदालत - राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

गुमानसिंह बनाम राज, सरकार  
दावा बाबत रिकॉर्ड नं० 124 राज 2024  
मुकदमा नं० 124 राज 2024

यह मुकदमा आज वारते इन्फिराल कर्तई रु-व-रु हाजरी श्री रमेश विरसु एड. गिनजानिव मुद्दई .. गिनजानिव मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिकरी किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके सोही बाधरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के खेत खाता संख्या 42 के खरा संख्या 221 तादादी 10.2298 हैक्टैयर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गुमानसिंह पुत्र सोनसिंह खातेदार के स्थान पर गुमानसिंह पुत्र सोहनसिंह निवासी ग्राम बाधरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिकरी जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

घीज ..... मुवलिंग ..... वाबत .....  
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी  
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलगावी तक ..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 12. 2024

न्यायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

रेवन्थु अधिवक्ता (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वाबत		
वाबत इजराय हुक्मनामा			इजराय हुक्मनामा		
मुताफरिक			मुताफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये